भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3274
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवनरक्षक दवाएं

3274. श्री हनुमान बेनीवालः
श्री राजकुमार रोतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि से आम नागरिकों, विशेषरूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के रोगियों पर वित्तीय बोझ बढ़ा है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दवाओं की मूल्य वृद्धि का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त दवाओं की कीमतों को किफायती बनाए रखने तथा अनुचित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सामने आए नकली, मिलावटी/मानक गुणवत्ता के न होने (एनएसक्यू) संबंधी दवाओं के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा संबंधित दवा निर्माता कंपनियों, वितरकों तथा अन्य चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध की गई जांच, अभियोजन, लाइसेंस के निलंबन/रद्दीकरण तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): औषधियों की कीमतें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। औषध विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार औषधियों की कीमतों को विनियमित करता है। एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एनएलईएम) पर आधारित होती हैं, में विनिर्दिष्ट औषधियों की अधिकतम कीमतें निर्धारित करता है। दिनांक 23.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 935 औषधियों की अधिकतम कीमतें प्रभावी हैं। एनएलईएम, 2022 के तहत कीमतों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में लगभग 17% की कमी आई है। एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(प) में परिभाषित नई दवाओं, अर्थात् एनएलईएम में सूचीबद्ध किसी औषधि के मौजूदा विनिर्माताओं द्वारा किसी अन्य औषधि के साथ मिलाकर या उसकी क्षमता या खुराक या दोनों में परिवर्तन करके तैयार किए गए नए फॉर्मूलेशन, के खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है। नई दवाओं के खुदरा मूल्य आवेदक विनिर्माता और विपणनकर्ता पर लागू होते हैं और वे एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर नई औषधि की बिक्री नहीं कर सकते। एनपीपीए ने दिनांक

23.07.2026 तक 3,845 नई दवाओं के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मामले में, विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न करें। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने जनहित में सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पैरा 19 के तहत दवाओं के मूल्य निर्धारित किए हैं। एनपीपीए द्वारा निर्धारित या संशोधित कीमतों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट (www.nppa.gov.in) पर उपलब्ध है।

अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पहले पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुएं) के आधार पर संशोधित किए जाते हैं, जिसे सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचित वृद्धि उस वर्ष के लिए अनुसूचित दवा की अधिकतम अनुमत वृद्धि होती है, और विनिर्माता ऐसी दवाओं की कीमत को उसके समान रख सकते हैं अथवा कम वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। पिछले 3 वर्षों के डब्ल्यूपीआई इस प्रकार हैं:

वर्ष	**डब्ल्यूपीआई**
1.04.2024	0.00551%
1.04.2025	1.74028%
1.04.2026	0.64956%

गैर-अनुसूचित फॉर्मुलेशनों के मामले में, विनिर्माता उस दवा के एमआरपी पर पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, बाजार के आंकड़ों (जून 2026 के लिए फार्मरिक डेटाबेस पर आधारित) से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में गैर-अनुसूचित औषधियों की भारित औसत वार्षिक मूल्य वृद्धि 6.94% है, जो कि अनुमत 10% प्रति वर्ष की मूल्य वृद्धि से कम है।

एनपीपीए नियमित रूप से अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों प्रकार के फॉर्मूलेशनों की कीमतों की निगरानी करता है और उपभोक्ताओं से अधिप्रभारन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

मूल्य विनियमन के अलावा, सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के माध्यम से आवश्यक दवाओं की सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिसके तहत जन औषधि केंद्रों (जेएके) में गुणवत्तापूर्ण दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में आमतौर पर 50% से 80% कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अमृत (उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण) पहल के तहत, कई अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित अमृत फार्मेसी स्टोरों के माध्यम से कैंसर, हृदयवाहिका रोग और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए सस्ती दवाएं, प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा संबंधी डिस्पोजेबल और अन्य उपभोज्य वस्तुएं बाजार दरों पर औसतन 50% तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के तहत, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के तहत अनुशंसित आवश्यक औषधि सूची देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) से लेकर जिला अस्पतालों तक के जन स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश में औषधियों का विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रणाली द्वारा विनियमित होता है। औषधियों के विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों द्वारा गैर-मानक गुणवत्ता/नकली/मिलावटी सूचित किए गए औषधि नमूनों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	जांचे गए औषधि नमूने	मानक गुणवत्ता के अननुरूप घोषित औषधि नमूने	नकली / मिलावटी घोषित औषधि नमूने	नकली/मिलावटी दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए अभियोजन के मामले
2023-24	1,06,150	2,988	282	604
2024-25	1,16,323	3,104	245	961
2025-26	1,41,322	3,012	283	779*

* *अनंतिम आंकड़ें*

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसरों का समय-समय पर या जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुसार निरीक्षण करते हैं। दोषी फर्मों के विरुद्ध राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस निलंबित करने, रद्द करने और न्यायालयों में मुकदमा चलाने जैसी कार्रवाई की जाती है।
